राजस्थान राज--पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 4, गुरुवार, शाके 1933–फरवरी 23, 2012
Phalguna 4, Thursday, Saka 1933 - February 23, 2012

सत्यमेव जयते

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 9, 2012

संख्या प.3(16)वन/2009 :– वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53), जो कि भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ 11014/3/72–एफ.आर.वाई./डब्ल्यू.एल.एफ. दिनांक 01 सितम्बर, 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धारा 36 ए की शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं स्थानीय समुदायों एवं संबंधित ग्राम पंचायत से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार वन खण्ड रघुनाथगढ, जो राज्य सरकार की अधिसूचना पत्रांक एफ 1(6)(19) राज–8/73 दिनांक 21–06–73 द्वारा राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अधीन रक्षित वन घोषित किया जा चुका है, की सम्पूर्ण रक्षित वन भूमि जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में वर्णित है, को परिस्थितिकीय व प्राणीजातिय, वनस्पतीय भू–संरचना संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा "कन्जरवेशन रिजर्व" घोषित करती है । इसे भविष्य में "शाकम्भरी कन्जरवेशन रिजर्व" के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा । शाकम्भरी कन्जरवेशन रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 13100 हैक्टर हैं जिसमें से 8070 हैक्टर क्षेत्र सीकर जिले में तथा 5030 हैक्टर क्षेत्र झुंझुनूं जिले में अवस्थित है ।

अनुसूची

उत्तरी सीमा	:–	रक्षित वनखण्ड रघुनाथगढ की उत्तरी सीमा
दक्षिणी सीमा	:–	रक्षित वनखण्ड रघुनाथगढ की दक्षिणी सीमा
पूर्वी सीमा	:–	रक्षित वनखण्ड रघुनाथगढ की पूर्वी सीमा
पश्चिमी सीमा	:–	रक्षित वनखण्ड रघुनाथगढ की पश्चिमी सीमा

राज्यपाल की आज्ञा से,
सी.एस. रत्नासामी,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर